Purva Mimaansa
A Multi-discipinary Bi-annual Research Journal
(Double Blind Peer Reviewed)
Vol. 7 No. 1-2, March-Sep. 2016
ISSN : 0976-0237

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर व संवैधानिक मूल्य

डॉ पवन कुमार*, डॉ. अरूण सांगवान**

भारत रत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर एक महान मानवतावादी , कानूनवेत्ता, बुद्विजीवी तथा सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले महान चिन्तक के रूप मे जाने जाते है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के भाब्दो में "अम्बेडकर को एक ऐसे महान व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है, जिसने भारत के उत्पीड़ित "अछूतो को एक नई पहचान दी जिसके फलस्वरूप उन्हें दलितों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। डॉ बी.आर. अम्बेडकर ने तीन दशकों से भी अधिक के अपने सार्वजनिक जीवन में अपने आप को एक शिक्षक, कुशल प्रशासक एक राजनीतिज्ञ तथा धार्मिक प्रवृति के व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया। इस तरह उन्होंने एक सामाजिक चिन्तन के साथ–2 एक राजनैतिक आर्थिक रूप मे भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉ.बी.आर. अम्बेडकर को भारत के लिंकन एवं मार्टिन लूथर के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए भारतीय चिन्तन में डाः बी.आर. अम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान है जो इस प्रकार से हैं।

1. डॉ. अम्बेडकर द्वारा वर्ण एवं जाति व्यवस्था का खण्डन किया, उन्होंने तत्कालीन समाज की वास्तविक परिस्थितियों के आचार पर इस बात का प्रतिपादन किया कि वर्ण व्यवस्था व जाति व्यवस्था पूरी तरह अव्यवहारिक, अन्यायपूर्ण तथा इस व्यवस्था ने सामाजिक जीवन में द्वेश एवं रूढ़िवादिता को पैदा किया है तथा इस जाति एवं वर्ण व्यवस्था से राजनैतिक जीवन मे अनेक प्रकार की समस्याएँ पैदा हो जायेगी। उन्होंने हिन्दुओं का ध्यान उन सामाजिक समस्याओं की ओर दिलवाया जो भारतीय समाज की एकता पर कुठाराघात करेगी।[1]

2. डॉ.अम्बेडकर भारत के संविधान निर्माता के रूप मे लम्बे संघर्श के पश्चात् 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। 29 अगस्त 1947 के दिन संविधान निर्माता सभा के संविधान का "प्रारूप बनाने वाली समिति की घोषणा की गई। डॉ. अम्बेडकर को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया तथा इस समिति के अन्य सदस्य–

1. श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी।
2. श्री एन.गोयल स्वामी आयंगर।
3. श्री सय्य एम. सादुल्ला।

*प्रवक्ता राजनीति शास्त्र, दयाल सिंह कालेज करनाल
**प्रवक्ता राजनीति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय, सतनाली।

Vol. 7 No. 1-2, March-Sep. 2016
ISSN : 0976-0237

4. सर बी.एन.राव।
5. सर बी.एल.मितर।
6. डॉ.के.एम. मुंशी।
7. श्री डी. पी. खेतान।

डॉ. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पूरी एकाग्रता, विवेक तथा मानवीय मूल्यों को ध्यान में रख कर लिखा है। इस प्रस्तावना की प्रशंसा विश्वभर में इस विशय के विशेषज्ञों ने की है। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने इस संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। इतना ही नही 29 अप्रैल 1947 को संविधान सभा ने "अस्पृश्यता" समाप्ति का प्रस्ताव पारित किया। अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए डॉ. अम्बेडकर ने जो नैतिक दबाव डाला था यह उसी का परिणाम था। इतना ही नही प्रान्तों एवं केन्द्र के बीच भाक्तियों के बंटवारे के लिए डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि "प्रान्तों को यथा सम्भव पूर्ण स्वायत्तता देनी चाहिए, तथा भारत के बाकी संविधान में केन्द्र व राज्य सरकारों के बीच भाक्तियों का विभाजन के समय अपरिभाषित शक्तियों को केन्द्र में निहित किया जाना चाहिए। इसलिए डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जो शक्ति कालीन व संकट कालीन दोनो ही परिस्थितियों में देश की एकता व अखण्डता को बनाये रखने मे सहायक था। उनके अनुसार हम जानते है कि भारत में अलगाव की भावनाऐं विद्यमान है। यहाँ राष्ट्रीय भावना की तुलना में प्रान्तीय एवं संकीर्ण भावनाएं प्रबल हैं। जब हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे है जिसके एककों को पूर्ण स्वायतता होगी। हमें भारत को मजबूत और संगठित देश बनाने की समस्या का भी सामना करना है। मैं यह कहना चाहता कि मेरे विचार से शक्तियाँ केन्द्र में मिश्रित करने से प्रान्तों की स्वायतता पर कोई भी प्रभाव नही पड़ेगा।[2]

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों के विषय मे ये विचार व्यक्त किये "मौलिक अधिकारों की घोषणा पत्र से क्या होने वाला है किसी व्यक्ति को यह बताना कि तुम्हारे ये अधिकार नाकाफी है जब तक यह सुनिशिचित न हो पाये कि इन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते है, कोई बाधा आएगी तो उसे दूर किया जाएगा। संविधान में यह गारन्टी अवश्य की जानी चाहिए।[3]

आरक्षण के विषय पर जब संविधान सभा में यह प्रश्न आया कि आरक्षण कब तक?उस समय सारे देश द्वारा यह बात स्वीकार की थी कि समाज के जो लोग सदियों से दबे हुए है उन्हे आरक्षण देना चाहिए। डॉ. अम्बेडकर ने इस विषय को

Vol. 7 No. 1-2, March-Sep. 2016
ISSN : 0976-0237

स्पष्ट करते हुए कहा था कि आरक्षण एक सहारा है और यह अस्थायी ही रहेगा। इतना ही नही बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि मैं संविधान के अन्दर आरक्षण के प्रावधान की धारा की अस्थायी स्वरूप के साथ ही मान्यता देता हूँ। जो 10 वर्ष के अन्दर स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। डॉ. अम्बेडकर ने ये भी कहा था कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नही हो सकता।[4]

3. धर्म निरपेक्षता का समर्थन – डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का धर्म के प्रति हमेशा से ही उदारवादी दृष्टिकोण था। वे भारत के लिए वास्तविक व सच्चा धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित करने के पक्ष मे थे, क्योंकि उनके अनुसार भारत धार्मिक विभिन्नताओं एवं बहु संस्कृतियों का राष्ट्र है। इस देश मे विश्व के सभी प्रमुख धर्मों के लोग निवास करते है। इसलिए धर्म के विष्य में डॉ. अम्बेडकर का मत यह था कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया जाये।[5]

4. मानवाधिकारों का समर्थन– डॉ. बी.आर. अम्बेडकर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए समानता व स्वतन्त्रता जैसे – मानवीय अधिकारों के समर्थक थे। उनके द्वारा विशेषाधिकारों का हमेशा से ही विरोध किया। इतना ही नही बल्कि भारतीय संविधान के अध्याय तीन में भारत के सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्रदान करके तथा बिना किसी भेदभाव के सभी मूल अधिकार प्रदान करने की वकालत की जो भारतीय संविधान में उनका महत्वपूर्ण योगदान है।[6]

5. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक समानता के समर्थक थे। उन्होंने अपने मसौदें में भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के स्वतन्त्रता, समानता, सुरक्षा तथा लाभ के अधिकार दिये। उन्होंने व्यक्ति को इकाई माना। इतना ही नही बल्कि डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान इस बात मे है कि जाति, धर्म, वर्ग, भाषा आदि विभाजनकारी प्रवृतियाँ जब देश को भीतर से कुरेद रही थी तब विभिन्नता संस्कृतियों की निष्ठाओं को नियंत्रित करते हुए एक संघ राष्ट्र निर्मित से प्रेरित होकर प्रत्येक की स्वतंत्रताओं को सुरक्षित और सर्वांगीण विकास के अवसर प्राप्त करा देने वाला संविधान उन्होंने प्रस्तुत किया।[7]

जिस संविधान को पूरी निष्ठा से बनाया उसमे बार–बार संशोधन किये जा रहे है। संशोधन की आवश्यकता तो थी और भी है, परन्तु भय यह है कि अगर प्रगतिरोधी भाक्तियाँ अधिक प्रबल हो गई तो वे संविधान की आत्मा को ही बदल देगीं। यह सही है कि हिन्दू कोड बिल के अनेक प्रावाधान जो अम्बेडकर जी के समय में स्वीकृत नही हो सके वे बाद में स्वीकृत हुए। मजदूरों, श्रमिकों को और अधिक संरक्षण वर्तमान में

Vol. 7 No. 1-2, March-Sep. 2016
ISSN : 0976-0237

अनेक कानूनों द्वारा दिया जा रहा है। इसमें कोई सन्देह नही कि स्वतन्त्रता के बाद देश के सभी हिस्सों से दलित शिक्षा के क्षेत्र मे आ रहे है। जितनी तेजी से उनमे शिक्षा का प्रसार होना चाहिए था धीरे–धीरे वह भी हो रहा है।[8]

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर द्वारा दलितों के उत्थान के लिए भी कार्य किया। यद्यपि डॉ. अम्बेडकर का जन्म भी निम्न जाति समझे जाने वाली महार जाति मे हुआ जिसके परिणाम स्वरूप उन्हे आजीवन जातिय भेदभाव का शिकार भी होना पड़ा। जिसके कारण उन्होंने दलित वर्ग के इन लोगों के साथ होने वाले सामाजिक भेदभावों, अन्याय के विरूद्ध आवाज बुलन्द की अर्थात् एक ऐसा वर्ग जिसे कई शताब्दियों से शिक्षा, सम्पत्ति और अधिकारो से वंचित रखा जा रहा था, उस वर्ग को भी समाज में सम्मानजनक स्थान मिले, उनके साथ अमानवीय व्यवहार न हो, इसके लिए डॉ. अम्बेडकर द्वारा दलितों को एक तीन सूत्रीय मंत्र भी दिया। " शिक्षित बनों, संगठित रहों और संघर्ष करों।" इस तरह से डॉ. अम्बेडकर द्वारा भारत के दलितों के लिए उत्थान के रूप मे काफी कार्य किये अर्थात जो कार्य अमेरिका मे राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा दासों की मुक्ति के लिए किये तथा पॉल राबसन ने अमेरिका के नीग्रो लोगों की मुक्ति के लिए किया। डॉ. भीम राव अम्बेडकर ने सवैधानिक सुरक्षा प्रदान की। अर्थात आज शासक मतों के कारण दलित आकांक्षओं को मूर्त रूप देने के लिए वे योजनाऐं बनाते हैं। अम्बेडकर जिस मानसिकता के विरोध मे लड़ रहे थे उनमे परिवर्तन नही हो पाया। अम्बेडकर ने संविधान के मसौदे मे ये कहा था कि "संविधान के द्वारा सामाजिक न्याय करने से इसकी स्थापना नही हो सकती बल्कि समाज के लोगो के हृदय मे सामाजिक समानता की भावनाओं को लाना होगा।[9]

24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा का अन्तिम अधिवेशन हुआ। इस पर सदस्यों ने तथा सम्बन्धित व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए। संविधान पर कुल 308 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। संविधान पर कुल व्यय 6396729 रूपये हुए और यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान बना।

26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया तथा भारत एक संप्रभुता सम्पन्न लोकतंत्र हो गया। इस अवसर पर संविधान निर्माता डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि " हमने राजनीति में तो समानता प्राप्त कर ली है, परन्तु सामाजिक और आर्थिक जीवन मे आज भी असमानता व्याप्त है। हमें इस विरोधाभास को यथाशीघ्र समाप्त करना होगा, नही जो आज इस असमानता से पीड़ित है, वे इस अत्यन्त परिश्रम से बनाये गए भवन को तहस नहस कर देगें।[10]

Vol. 7 No. 1-2, March-Sep. 2016
ISSN : 0976-0237

निष्कर्ष – डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के सवैधानिक मूल्यो का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि कुछ लोगो द्वारा उनके विचारो और कल्पना शक्ति के बारे मे समय–समय पर भ्रांत धारणाएं फैलाई जाती रही है। ऐसा उन सभी हस्तियों के साथ हुआ जिन्होंने इतिहास बदलने का प्रयास किया। हम किसी महान व्यक्ति को दलगत राजनीति के कारण गलत प्रस्तुतिकरण देखकर मौन और विनम्रशील नही रह सकते। किन्तु हम क्या कर सकते है। आन्दोलन या बोद्विक वाद–विवाद, यहाँ यह बात खत्म है कि डॉ. बी.आर. अम्बेडकर द्वारा एक ऐसे समाज की रचना करने का प्रयास किया जो मानवीय आदर्शों और उच्च मूल्यों मुक्त हो। उनका सामाजिक चिन्तन एक तरफ वर्ण, जाति, अन्याय व उत्पीड़न का विरोध करता है, दूसरी तरफ उनका मानवतावादी दृष्टिकोण स्वतन्त्रता, समानता, भाईचारे का समर्थन करता है जो संविधान व लोकतंत्र के सवैधानिक मूल्यों का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए मेरा शोध पत्र के माध्यम से एक प्रयास है कि डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने जो देश मे लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक न्याय, दलितों का उत्थान के लिए व उनकी अद्वितीय सेवा के लिए युगों तक याद किया जायेगा। उनके द्वारा बताऐ गये मार्ग पर हमें चलना होगा। यही उस महान विभूति व संविधान शिल्पी को एक सच्ची श्रद्धाजलि होगी।

संदर्भ सूचीः–

1. डॉ. सोमनाथ शर्मा, भारतीय राजनैतिक चिन्तन, ज्योति बुक डिपो, जालधंर, 2014, पृश्ठ 154
2. म. ला. शहारे, नलिनी अनिल, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर की संघर्ष यात्रा एवं सन्देश, सेंग्मेट बुक्स, नई दिल्ली, 1993, पृश्ठ 228
3. बाबा साहेब, डॉ अम्बेडकर संपूर्ण वाड्मय खण्ड–4, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, 1994, पृष्ठ 53
4. कृष्ण गोपाल, बाबा साहेब व्यक्ति और विचार, सुरूचि प्रकाशन, नई दिल्ली, 1994, पृष्ठ 139
5. डॉ. गुलशन राय, भारतीय राजनैतिक चिन्तन, ज्योति बुक डिपो, जालधंर पंजाब, 2014, पृष्ठ 155
6. वहीं
7. कृष्ण गोयल, बाबा साहेब व्यक्ति और विचार सुरूचि प्रकाशन, नई दिल्ली 1994, पृष्ठ 127
8. वहीं
9. बाबा साहेब, पूर्वोक्त खण्ड – 1, पृश्ठ 78
10. हिमांषु राय, युग पुरूश बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (संघर्ष गाथा) समता प्रकाशन, नई दिल्ली, 1990, पृष्ठ 1981